न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :–44/25

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
असेट री–कन्सट्रेक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड दॉ रूबी, दसवी मंजिल 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर, (वेस्ट), मुम्बई जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री वीरेन्द्र यादव		• रमेश पुत्र बाबुलाल जाटियों का बास, आसोप, जोधपुर • इन्द्रा राम पुत्र हडमान राम वार्ड नम्बर 18, आसोप, तहसील भोपालगढ़ • ज्योति देवी पत्नी रमेश जाटियों का बास, आसोप, भोपालगढ, जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :–

आदेश दिनांकः–05-06-2025

1–चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण रमेश पुत्र बाबुलाल व अन्य के विरूद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 5,70,000/–मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण **रमेश पुत्र बाबुलाल** की जायदाद **पटटा नम्बर 15, बुक संख्या 47, ग्राम आसोप, तहसील मोपालगढ़, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 1244.25 वर्ग फुट, जिसके उत्तर में मीयाराम पुत्र धन्नाराम फुलवारिया का मकान, दक्षिण में रामप्रकाश पुत्र रामजीवन धोलिया का मकान, पूर्व में रास्ता व निकाल, पश्चिम में ओमप्रकाश पुत्र मोहनराम मार्गव का प्लॉट आया हुआ,** को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने [illegible] के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत [illegible] जारी किये गये

Signature valid
Digitally signed by [illegible] Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.06.[illegible]
Reason: Approved

तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 27.12.2024 तक 8,57,464.12/– भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 5,70,000/–मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 27.12.2024 तक 8,57,464.12/– वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्राथीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद **रमेश पुत्र बाबुलाल** की जायदाद **पटटा नम्बर 15, बुक संख्या 47, ग्राम आसोप, तहसील भोपालगढ़, जिला जोधपुर जिसका कुल क्षेत्रफल 1244.25 वर्ग फुट. जिसके उत्तर में भीयाराम पुत्र धन्नाराम फुलवारिया का मकान, दक्षिण में रामप्रकाश पुत्र रामजीवन धोलिया का मकान, पूर्व में रास्ता व निकाल, पश्चिम में ओमप्रकाश पुत्र मोहनराम भार्गव का प्लॉट आया हुआ,** का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

आदेश आज दिनांक 05-06-2025 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2025.06.0[illegible] [illegible]:16:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 15735682